रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1078] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2008/श्रावण 8, 1930
No. 1078] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2008/SRAVANA 8, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2008

का.आ. 1887(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), राजस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, राजस्थान कहा जाएगा) का गठन करती है जिसमें राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :—

1. श्री सतीश चन्द्र डेवश्री, आईएएस (सेवानिवृत्त), 90, गीजगढ़ विहार, हवा सड़क, जयपुर	—अध्यक्ष, योजना प्रबंधन
2. श्री आर एस भंडारी, भा.व.से., पीसीसीएफ (सेवानिवृत्त) 2-म्यूजियम रोड, रामनिवास बाग, जयपुर	—सदस्य, वानिकी एवं वन्य जीव
3. ओएसडी एवं अपर सचिव, पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर-302005	—सदस्य सचिव

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. प्राधिकरण, राजस्थान ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई हैं ।

4. प्राधिकरण, राजस्थान इस आदेश में राजस्थान सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. राजस्थान राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण को अधिसूचित करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भात्ता/मंहगाई भत्ता राजस्थान सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केंद्रीय सरकार राजस्थान राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :—

1. डॉ. पी.पी. बाकरे, निदेशक, इंदिरा गांधी मानव पारिस्थितिकी केन्द्र, पर्यावरणीय एवं जनसंख्या अध्ययन तथा प्रो. एवं अध्यक्ष सेन्टर फॉर एडवांस स्टडीज राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302004	—अध्यक्ष, ईआईए प्रक्रिया एवं जीवन विज्ञान
2. श्री ए. के. सेठ, 12/21, मालवीय नगर, जयपुर-302017	—सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया
3. डॉ. टी. आई. खान, सहायक प्रो. इंदिरा गांधी मानव पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं प्रदूषण अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302004	—सदस्य, जीवन विज्ञान

4.	डॉ. रोहित गोयल, प्रो. एवं अध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर	—सदस्य, परियोजना प्रबंधन एवं पर्यावरण गुणवत्ता
5.	श्री माधो सिंह राठौर, 14/12, वीर दुर्गा दास नगर, पूटा, सी रोड जोधपुर	—सदस्य, ऊर्जा क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन
6.	श्री ए. के. शर्मा, 252/सैक्टर 14 ई, हिरन मार्गी स्कीम, उदयपुर	—सचिव, खनिज प्रसंस्करण में परियोजना प्रबंधन
7.	डॉ. राजीव गुप्ता, प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	—सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन
8.	प्रोफेसर के.सी. शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पर्यावरण अध्ययन विभाग महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	—सदस्य, जीवन विज्ञान
9.	श्री अमित लूनिया, अध्यक्ष पर्यावरणीय इंजीनियरिंग विभाग, गवर्नमेंट राम चन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर-302020	—सदस्य, परियोजना प्रबंधन
10.	वरिष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, राजस्थान का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, राजस्थान ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी है ।

9. एस ई ए सी राजस्थान सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी । अध्यक्ष प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. राजस्थान राज्य सरकार, एस ई ए सी राजस्थान के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी । एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा.-11013/29/2007-आई ए-II(I)]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2008

S.O. 1887(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Rajasthan (hereinafter referred to as the Authority, Rajasthan) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Rajasthan as under :

1.	Sh. Satish Chandra Derashri, IAS(Retd.) 90, Geejgarh Vihar, Hawa Sarak, Jaipur	—Chairman, Project Management
2.	Shri R. S. Bhandari, IFS PCCF (Retd) 2-Museum Road, Ram Niwas Bagh, Jaipur	—Member, Forestry and Wildlife
3.	OSD and Additional Secretary, Department of Environment, Government of Rajasthan Secretariat Jaipur-302 005.	—Member Secretary

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Rajasthan shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Rajasthan shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Rajasthan in this order.

5. The State Government of Rajasthan shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Rajasthan as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Rajasthan, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members :

1.	Dr. P.P. Bakre Director, India Gandhi Centre for Human Ecology	—Chairman, EIA Process and Life Sciences

	Environmental and Population Studies and Professor and Head Centre for Advanced Studies, University of Rajasthan, Jaipur-302004.	
2.	Shri A. K. Seth 12/21, Malviya Nagar Jaipur-302 017	—Member, Environmental Impact Assessment Process
3.	Dr. T. I. Khan Assistant Professor Indira Gandhi Centre for Human Ecology Environmental and Pollution Studies, Rajasthan University, Jaipur-302 004	—Member, Life Sciences
4.	Dr. Rohit Goyal Professor & Head, Department of Civil Engineering, Malviya National Institute of Technology, JLN Marg, Jaipur	—Member, Project Management and Environment Quality
5.	Shri Madho Singh Rathore 14/12, Veer Durga Dass Nagar Poota, C Road, Jodhpur	—Member, Project Management in Energy Sector
6.	Shri A. K. Sharma 252/Sector 14E, Hiran Margi Scheme, Udaipur	—Member, Project Management in Mineral Processing
7.	Dr. Rajeev Gupta Professor Department of Sociology Rajasthan University, Jaipur	—Member, Environment Impact Assessment
8.	Professor K. C. Sharma Professor & Head, Department of Environment Studies, Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer	—Member, Life Sciences
9.	Shri Amit Lunia Head, Department of Environmental Engineering, Government Ramchandra Khaitan Polytechnic College, Jaipur-302020	—Member, Project Management
10.	Senior Environmental Engineer, Rajasthan State Pollution Control Board	—Secretary

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Rajasthan shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Rajasthan shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Rajasthan shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Rajasthan shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Rajasthan and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Rajasthan as per State rules.

[No. J-11013/29/2007-IA-II(I)]

NALINI BHAT, Scientist "G"

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.